द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2022–23 हेतु चयनित (औपबंधिक) अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के पश्चात् प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2024 को आयोजित डी॰एल॰एड॰ प्रवेश परीक्षा 2022–23 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर औपबंधिक रूप से घोषित किया गया है। राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जनपद/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया गया है। अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ 2022–23 के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 22 अप्रैल, 2025 से 26 अप्रैल, 2025 तक समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सम्पादित की जाएगी। दिनांक 30 अप्रैल, 2025 से डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण 2022–23 हेतु प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएँ विधिवत संचालित की जाएगी।
2. अभ्यर्थी आवंटित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु उक्त तिथि में अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अन्य (आरक्षण संबंधी) से संबंधित समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा दो–दो छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित, दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित समस्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे, जिनका विवरण निम्नवत् है–

क्र॰सं॰	अभिलेख
1	1. हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र । 2. हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण–पत्र। 3. इण्टर परीक्षा का अंकपत्र। 4. इण्टर परीक्षा का प्रमाण–पत्र। 5. स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा के अंकपत्र। 6. स्नातक परीक्षा का प्रमाण–पत्र।
2	SC/ST/OBC/EWS श्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र।
3	DFF/PH/ Ex.Sol./ORPHAN उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र।

4	RA (राज्य आंदोलनकारी– स्वयं अथवा आश्रित) उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र, (निर्धारित प्रारूप– 01 एवं प्रारूप– 02 पर)।
5	कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र
6	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0प्र0प0 2022–23/विज्ञप्ति 01/162–66/2024–25, दिनांक 04 सितम्बर, 2024 के अनुसार एवं विवरणिका के अनुसार वांछनीय प्रमाणपत्र। (क) स्थाई निवास अथवा मूल निवास प्रमाणपत्र। (ख) नियोक्ता द्वारा जारी (अभिभावक/स्वयं का) सेवा/कार्यरत होने का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न है)
7	1. डी॰एल॰एड॰ प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र । 2. आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध आई॰डी॰।
8	दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ।

4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाणपत्र सत्यापन होने तक सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश औपबन्धिक माना जाएगा।
5. अभ्यर्थी प्रवेश के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाणपत्र तथा अंतिम संस्था से प्राप्त किया गया चरित्र प्रमाणपत्र व अन्य दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त नवीनतम चरित्र प्रमाणपत्र जो छः माह से अधिक पुराने न हों, प्रस्तुत करेंगे। इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि अभ्यर्थी पर वर्तमान में मा॰ न्यायालय में कोई भी वाद योजित नहीं है।
6. प्रवेश के समय अभ्यर्थी प्रथम वर्ष का शुल्क रु॰ 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित **प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान** के पदनाम से जमा करेंगे।
7. **जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चम्पावत आवंटित किया गया है, वे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में प्रवेश हेतु उपस्थित होंगे।**

(पदमेन्द्र सकलानी)
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड
देहरादून

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰) 2021–22 प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश :

प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰) 2022–23 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया हेतु निर्देश निम्नवत् हैं–

1. प्रत्येक अभ्यर्थी से पूर्णतः पूरित एवं आवश्यक प्रमाणपत्रों सहित पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त कर लिया जाय।
2. पंजीकरण प्रपत्र के साथ समस्त अभिलेखों की दो–दो स्व–हस्ताक्षरित छायाप्रतियाँ तथा दो नवीनतम फोटोग्राफ (पासपोर्ट आकार की) भी संलग्न किए जाएँ।
3. प्रत्येक अभ्यर्थी को एक पंजीकरण संख्या आवंटित करते हुए उसकी एक पृथक पत्रावली (इस प्रकार कुल 50 पत्रावलियाँ) तैयार कर संस्थान में सुरक्षित रखी जाएँ। अभ्यर्थियों के ओ॰एम॰आर॰ आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण–पत्रों एवं अन्य दस्तावेजों की दो–दो स्वप्रमाणि प्रतियाँ तथा दो–दो पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ पत्रावलियों में सुरक्षित रखे जायेंगे तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् राननगर, नैनीताल द्वारा मांगे जाने पर उनको उपलब्ध कराना होगा।
4. समस्त अंकपत्रों, प्रमाणपत्रों एवं अन्य अभिलेखों को मूल प्रमाणपत्रों/अभिलेखें से मिलान कर लिया जाय।
5. पंजीकरण प्रपत्र के साथ ही पाठ्यक्रम के नियमों से अवगत कराते हुए हस्ताक्षरित करा लिया जाय तथा इसे अभ्यर्थी की पत्रावली में सुरक्षित रखा जाए।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाणपत्र तथा अंतिम संस्था से प्राप्त किया गया चरित्र प्रमाणपत्र व दो अन्य राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त नवीनतम चरित्र प्रमाणपत्र जो छः माह से अधिक पुराने न हों, भी संलग्न किए जाएँ। इस आशय का भी प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाए कि अभ्यर्थी पर वर्तमान में मा॰ न्यायालय में कोई भी वाद योजित नहीं है।
7. कतिपय अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य वांछित प्रमाणपत्र पूर्ण न होने के कारण औपबन्धिक श्रेणी में रखा गया है। संबंधित प्रमाणपत्र पूर्ण होने की दशा पर ही प्रवेश की कार्यवाही की जाय।
8. प्रवेश के समय आरक्षित श्रेणी की विवाहित महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणपत्र की जाँच भली–भाँति कर ली जाय।
9. प्रवेश ले चुके अभ्यर्थियों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा तथा एक सॉफ्ट व एक हार्ड कॉपी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून के लिए भी प्रेषित की जाएगी।

प्रमाण–पत्रों का सत्यापन :

- संबंधित अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों एवं अंक पत्रों का संबंधित परीक्षा संस्थाओं (बोर्ड/विश्वविद्यालय) से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अभ्यर्थियों से इस संबंध में यह अनुबंध पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों में किसी तरह की असत्य सूचना पाए जाने की स्थिति में प्रवेश निरस्त किया जाय।

1. जनपद हेतु पंजीकरण संख्या :

पूर्व में आवंटित पंजीकरण संख्या के अंतर्गत ही कार्यवाही की जाएगी। जनपद में पंजीकृत अभ्यर्थियों को निम्नवत् पंजीकरण संख्या आवंटित की गई है–

जनपद का नाम	जनपद कोड	पंजीकरण संख्या
अल्मोड़ा	01	3251–3300
बागेश्वर	02	3301–3350
चमोली	03	3351–3400
चम्पावत	04	3401–3450
देहरादून	05	3451–3500
हरिद्वार	06	3501–3550
नैनीताल	07	3551–3600
पौड़ी गढ़वाल	08	3601–3650
पिथौरागढ़	09	3651–3700
रुद्रप्रयाग	10	3701–3750
टिहरी गढ़वाल	11	3751–3800
ऊधमसिंह नगर	12	3801–3850
उत्तरकाशी	13	3851–3900

2. शुल्क प्राप्ति :

प्रथम वर्ष का शुल्क रु॰ 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट **प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित जनपद** के पदनाम का पंजीकरण प्रपत्र के साथ प्राप्त कर लिया जाय।

3. कक्षा संचालन :

अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाना है। प्रथम सेमेस्टर दिनांक 30 अप्रैल, 2025 से विधिवत संचालित होगा।

4. **अनापत्ति प्रमाणपत्र :**

प्रत्येक अभ्यर्थी से इस आशय का प्रमाण–पत्र (शपथ–पत्र 10 रु॰) प्राप्त कर लिया जाए कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान वह किसी प्रकार की शासकीय या निजी सेवा में कार्यरत नहीं है। यदि वह कहीं कार्यरत हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी विभाग/सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर, संलग्न करें। यह एक नियमित प्रशिक्षण है। अतः प्रशिक्षण की दो वर्ष की अवधि में निर्धारित अवकाशों के अतिरिक्त अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

5. **अन्य नियम :**

प्रत्येक अभ्यर्थी को पाठ्यचर्या में दिए गए डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण संचालन के समस्त नियमों से अवगत करा दिया जाय व इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति अभ्यर्थी की पत्रावली में सुरक्षित रखी जाय।

6. अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता की जाँच हेतु राज्य स्तरीय काउंसलिंग के निर्देश आपको इस आशय से उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर वर्ग के अंतर्गत श्रेणी एवं उपश्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के वर्ग एवं श्रेणी में चयन संबंधी अर्हता के प्रमाणपत्रों को एक बार पुनः गहन परीक्षण/जाँच कर लें एवं किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर नियमान्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

7. अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक प्रवेश हेतु पंजीकृत डाक से अनिवार्यतः सूचित करें।
8. प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ पाठ्यचर्या के अंतर्गत पृष्ठ संख्या– 31 पर **'प्रशिक्षण संचालन हेतु आवश्यक नियम'** में **'आचरण'** शीर्षक में निहित प्रावधानों से प्रशिक्षुओं को स्पष्टतः अवगत करा दिया जाय एवं अक्षरशः कड़ाई से पालन हेतु निर्देशित किया जाय।

14.4.25

(पदमेन्द्र सकलानी)
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड
देहरादून